तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/5/18	पत्रावली पेश कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण अ.स. 2 व 3 तामील के उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते साक्ष्य वादी बंद की जाती है। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया। दावा वादी बहक वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसले शुमार होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। [signature] SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/167/2017

वउनवान

1. फुलसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोता
2. विजयसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोता
3. गोविन्द पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसराता

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादीगण

बनाम

1. बाबू पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
2. मोहनसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
3. राजेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
4. बबली पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
5. ढकेली पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
6. मछला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
7. भम्बोली पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी ईसरोता

तहसील कठूमर जिला अलवर

---- प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री रामजीलाल शर्मा : वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 24.05..2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 74 रकवा 0.04 हे. 82 रकवा 0.43 हे. 119 रकवा 1.64 हे.

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

275 रकवा 0.89 हे. 347 रकवा 1.08 हे. ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है जिस पर वादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है राजस्व रेंकार्ड में विवादित आराजी वावत वादीगण की खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण जबर्दस्त किस्म के लोग है जिनका विवादित आराजी से किसी किस्म का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण आपस में मिले हुये है जो वादीगण को उनके कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देते है प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो वादीगण तवाह एंव वर्वाद हो जावेंगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे वादीगण को अपार हानि होगी। अतः वादी ने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण दिनांक 24.01.2016 को हाजिर अदालत नहीं हुये इस वजह से उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने दावा के साथ जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 वाके ग्राम ईसरोती की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है। वादी अपनी ओर से कोई गवाह पेश नहीं करना चाहता। गवाह वादी बन्द किये गये।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी 2070 से 2073 वाके ग्राम ईसरोती का अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम ईसरोती में विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित नहीं आये और ना अपनी ओर से दावा में कोई उज्र व एतराज पेश किये। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी वावत वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः दावा वादी सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 74 रकवा 0.04 हे. 82 रकवा 0.43 हे. 119 रकवा 1.64 हे. 275 रकवा 0.89 हे. 347 रकवा 1.08 हे. ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में वादीगण को खेत बोने जोतने फसल काटने समेटने व कुल काश्त सम्बन्धी कार्य करने में बाधा पैदा ना करें दखलनदाजी ना करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 24.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/167/2017

वउनवान

1. फुलसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोता
2. विजयसिंह पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसरोता
3. गोविन्द पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी ईसराता

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ डिक्रीदारान

बनाम

1. बाबू पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
2. मोहनसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
3. राजेश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
4. बबली पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
5. ढकेली पत्नी स्व0 अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
6. मछला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी ईसरोता
7. भम्बोली पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी ईसरोता

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ मदयूनान

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 74 रकवा 0.04 हे. 82 रकवा 0.43 हे. 119 रकवा 1.64 हे. 275 रकवा 0.89 हे. 347 रकवा 1.08 हे. ग्राम ईसरोती तहसील कठूमर में वादीगण को खेत बोने जोतने फसल काटने समेटने व कुल काश्त सम्बन्धी कार्य करने में बाधा पैदा ना करें दखलनदाजी ना करें।

आज दिनांक 24.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner